15

कार्यालय कलेक्टर जिला–नीमच (म0प्र0)

क्रमांक 19 /स्टेशनरी./2017 नीमच,दिनांक 15/06/2017

स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री की निविदा शर्ते

कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं ज़िले के अन्य शासकीय कार्यालयों के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये उपयोग में आने वाली संलग्न सूची अनुसार स्टेशनरी/कम्प्यूटर सामग्री/लेखन सामग्री क्रय किये जाने हेतु दर निर्धारित करने के लिये स्टेशनरी/सामग्री विक्रेताओं से निम्नलिखित शर्तो के अधिन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

1– निविदा शील बंद लिफाफे में कार्यालयीन समय में कलेक्टर कार्यालय नीमच में दिनांक 6-7-2017 को दोप0 01.00 बजे तक प्रस्तुत की जाना है। जो उसी दिन को सायंकाल 4.30 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जावेगी। निर्धारित समय अवधि पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदाकार 02 लिफाफा पद्वति भाग–1 एवं भाग–2 पृथक पृथक लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करेगे। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

भाग–1 प्रथम लिफाफा (टेक्नीकल विड)

प्रथम लिफाफा भाग 1 निम्नलिखित दस्तावेज रखेगें।

(1) धरोहर राशि रूपये 20,000/– रूपये की एफ.डी. जो कि कलेक्टर नीमच के नाम से प्लेज हो, प्रस्तुत की जाना अनिवार्य हैं ।

(2) फॉर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र (नगरपालिका नीमच द्वारा प्रदाय)

(3) वाणिज्य कर विभाग का जीवित पंजीयन क्रमांक (टीन नम्बर)

(4) आयकर विभाग का परमानेंट अकाऊट नम्बर गत वर्ष के फर्म का आयकर रिटर्न की प्रति जो आयकर विभाग में प्रस्तुत की हो

(5) फर्म का ब्लेक लिस्टैड न होने संबंधी शपथ पत्र

(6) उपरोक्त दर्शाये गये समस्त प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज स्वःप्रमाणित हो

भाग –2 दूसरा लिफाफा (फायनिसियल विड)

(1) दूसरे लिफाफे में निविदाकार केवल दर सूची प्रस्तुत करेगा।

भाग–1 की संतुष्टि एवं शर्त पूर्ण करने पर ही भाग–2 दरों का लिफाफा खोला जायेगा।

(2) निविदा के साथ रूपये 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) राशि की एफ.डी.का धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जोकि कलेक्टर नीमच के नाम से देय होगा। जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होगी उसकी धरोहर राशि रोकी जाकर शेष निविदाकार की राशि 01 माह में वापिस कर दी जायेगी।

(3) निविदाकर द्वारा दोनों लिफाफे भाग–1 और भाग–2 लिफाफों पर फर्म जिसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा रही है पूर्ण नाम व पता व मोबाईन नंबर भी लिखा जावेगा।

(4) निविदा के संलग्न सूची अनुसार ही सामग्री कंपनी एवं ब्राण्ड के ही दर दिये जावे, अन्य के नहीं। उक्त पूर्णता नहीं होने पर या अन्य सामग्री आदि के प्रस्तुत दर पर विचार नहीं किया जावेगा।

(5) निविदा में अंकित सामग्री के एवं सेम्पल निविदा प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। सेम्पल पर संबंधित फर्म के हस्ताक्षर सील आदि होना अति–आवश्यक है। जिन फर्म के न्यूनतम दर स्वीकृत होगे, उनके सेम्पल कार्यालय में सुरक्षित रखे जाऐगे।

(6) स्वीकृत दर के अनुसार प्रदाय की जाने वाली सामग्री सेम्पल के अनुरूप नहीं होने, कम होने, या नकली पाई जाने पर की स्थिति में निविदाकार द्वारा पूर्व में प्रदाय की गई समाग्री का भुगतान का देय भी नहीं होगा । साथ ही धरोहर राशि राजशाहत की जाकर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(7) निविदाकार द्वारा जिन सामग्रियों की दरे प्रस्तुत की जा रही हो, उस कंपनी की वर्तमान की दर सूची संलग्न की जावे।

(8) कलेक्टर जिला नीमच निविदा स्वीकृत किये जाने हेतु बाध्य नहीं है, वस्तु के गुण (क्वालिटी) के आधार पर न्यूनतंम दर स्वीकृत किये जावेगे। किसी भी निविदा को बिना कारण बताऐ अमान्य किये जाने का अधिकार कलेक्टर जिला नीमच को होगा। कय समिती के द्वारा न्यूनतम दर गुणवता के आधार पर ही सामग्री कय की जावेगी।

(9) निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकार को उपर्युक्त सभी शर्त मान्य होगी निविदाकर द्वारा दी गई शर्त पर निविदा मान्य नहीं होगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी अधिकारी,
वास्ते–कलेक्टर, जिला–नीमच

पृ0क्रमांक 20 / स्टेशनरी / 16

नीमच,दिनांक 15 / 06 / 2016

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–मंदसौर / रतलाम / शाजापुर / देवास / उज्जैन की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया आपके जिले से संबंधित विक्रेताओं को भी इस निविदा से अवगत कराने का कष्ट करे।

2– जनसम्पर्क अधिकारी जिला–नीमच की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु

3– तहसीलदार नीमच / जीरन / मनासा / रामपुरा / जावद / सिंगोली की ओर तहसील क्षेत्र के विक्रेताओं को अवगत कराने एवं एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

4– जिला नाजिर, कलेक्टोरेट जिला–नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी,
वास्ते–कलेक्टर, जिला–नीमच

Stationery